



आरटीई अधिनियम-2009, के प्रावधान तहत स्कूल  
फीस प्रतिपूर्ति



PUSHPA SR SEC SCHOOL ASHTA, ASHTA,  
SEHORE

प्रस्ताव क्रमांक: 36233

प्रस्ताव दर्ज दिनांक : 28/07/2022

स्कूल आईडी - 27935

दिनांक : 28/07/2022

सत्र - 2021-22

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला - SEHORE, मध्यप्रदेश

विषय :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मान्यता की जानकारी : शाला का मान्यता का क्रमांक 27935 एवं मान्यता की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2025 तक है।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i) (c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक सत्र में संलग्न सूची अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सूची में उल्लेखित विवरण के अनुसार दिनांक की स्थिति में बच्चों की उपस्थिति 75% या उससे अधिक रही है।

कृपया अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधान अनुसार उक्त प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करने का कष्ट करें।

1. 31 मार्च की स्थिति में स्कूल में प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की उपस्थिति की जानकारी।

संलग्न:


2. फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र।

Bank  
Details:

Account No.- 901710100006498

IFSC Code - BKID0009017

भवदीय,

  
प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य  
Principal  
Pushpa Sr. Sec. School  
Ashta-466116  
Sehore Dist. (M.P.)



आरटीई अधिनियम-2009, के प्रावधान तहत स्कूल  
फीस प्रतिपूर्ति



PUSHPA SR SEC SCHOOL ASHTA ASHTA,  
SEHORE

प्रस्ताव क्रमांक: 36233

प्रस्ताव दर्ज दिनांक : 28/07/2022

स्कूल आईडी - 27935

दिनांक : 28/07/2022

सत्र - 2021-22

विषय : विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र ।

विद्यालय में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या एवं 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या की पुष्टि हेतु प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा विद्यालय के लेटरहेड पर निम्नलिखित प्रारूप में घोषणापत्र संलग्न किया जावे:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i) (c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक वर्ष में संलग्न सूची के अनुसार 26 वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया है, दिनांक 26 (31 मार्च) की स्थिति वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों में 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या 26 (75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों की संख्या) है।

स्कूल द्वारा शासन या स्थानीय निकाय से ऐसी कोई भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त नहीं की है, जिसके कारण उसे विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता है।

मेरे द्वारा दी गयी उक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसका सत्यापन जिले के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जिसका उत्तरदायित्व मेरा होगा।

भवदीय,

प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य  
Principal  
Pushpa Sr. Sec. School  
Ashta-466116  
Sehore Dist. (M.P.)

आरटीई अधिनियम-2009, के प्रावधान तहत स्कूल